

कार्यालय : सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/वि0प0/रा0सु0रा0आ0आ0वि0/प्र0प0 2026/27-37 /2025-26 दिनांक 17 जनवरी 2026

:: विज्ञप्ति ::

निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक : 3147/स0क0/आ0आ0वि0/2025-26 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 के क्रम में राजकीय सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर (भगवानपुर) जनपद हरिद्वार में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 06 में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त विद्यालय में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ-साथ निःशुल्क उच्च स्तरीय विद्यालयी सहशिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। विद्यालय में कक्षा 06 में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के 15 छात्र एवं 15 छात्राओं को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाना है।

• प्रवेश हेतु पात्रता :-

1. शैक्षिक अर्हता :

क. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 05 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएं कक्षा 06 में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे। कक्षा 05 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र/छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं अतः वे आवेदन न करें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका से करायेंगे जहाँ वह वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 05 में अध्ययनरत है।

ख. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) से 31 मार्च 2026 तक या उससे पूर्व 'ब' प्रमाण पत्र दक्षता उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2026 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य) में हों। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस केन्द्र/संस्था के प्रभारी से करायेंगे जहाँ से उनके द्वारा प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है।

ग. गृह शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी (जिन्होंने किसी औपचारिक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण न की हो) भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2026 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य) में हों। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उनकी जन्मतिथि (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्रानुसार) एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक दक्षताएं पूर्ण करने विषयक घोषणा भी करनी होगी।

2. आयु सीमा :

अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2026 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिये अर्थात् उसका जन्म 31 मार्च 2013 से 01 अप्रैल 2016 के मध्य हुआ हो (उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

3. राजकीय सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

4. अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति (अनुसूचित जाति) प्रमाण पत्र अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर उसे औपबन्धिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जायेगा किन्तु चयन होने की स्थिति में काउंसिलिंग के समय आवेदन पत्र में भरी गयी कोई सूचना असत्य/गलत पाये जाने अथवा प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा। गलत तथ्य/सूचना प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्थी के माता/पिता/संरक्षक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः अपने पाल्य के अभ्यर्थन की भली-भाँति जाँच कर परीक्षा आवेदन पत्र में सही सूचना अंकित करें।

6. चयनित होने पर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु तभी पात्र होगा जब वह विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत अथवा 'ब' प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र सहित अपने समस्त मूल प्रमाणपत्र (यथा जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र आदि) काउंसिलिंग के समय राजकीय सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कोई भी तथ्य/सूचना या प्रमाण पत्र असत्य/गलत पाये जाने या प्रस्तुत न करने पर चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

• आवेदन पत्र :

आवेदन पत्र समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं प्रधानाचार्य राजकीय सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मखनपुर (भगवानपुर) जनपद हरिद्वार कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in के DEPARTMENTAL EXAM टैब से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

• परीक्षा केन्द्र :

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में चार परीक्षा शहरों/स्थानों के नाम अंकित करने होंगे। यथासंभव परीक्षार्थी को प्रथम वरीयता वाले परीक्षा शहर में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा, किन्तु प्रथम परीक्षा शहर में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम होने पर दूसरे या तीसरे परीक्षा शहर में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। जनपद हेतु प्रस्तावित परीक्षा शहरों में निर्धारित संख्या कम होने पर जनपद मुख्यालय अथवा जनपद में निर्धारित संख्या से कम परीक्षार्थी होने पर निकटतम जनपद में बने परीक्षा शहर को भी परीक्षा केन्द्र के रूप में आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा निम्नवत् शहरों/स्थानों पर आयोजित की जानी प्रस्तावित है—

हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर, देहरादून, डाकपत्थर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, पुरोला, नई टिहरी, घनसाली, पौड़ी, श्रीनगर, स्यूंसी, लैंसडाउन, कोटद्वार, नौगांवखाल, थराली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, पिथौरागढ़, बेरीनाग, धारचूला, डीडीहाट, चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैण, बागेश्वर, गरुड़, भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, खटीमा एवं काशीपुर।

• आवेदन की अंतिम तिथि :-

दिनांक 10 फरवरी 2026 को सायं 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र "सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, विभागीय परीक्षा अनुभाग, रामनगर (नैनीताल) पिन-244715" के पते पर पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। लिफाफे के बाहर "राजकीय सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 हेतु आवेदन पत्र" अवश्य लिखा जाय। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

• परीक्षा तिथि :

प्रवेश परीक्षा माह अप्रैल 2026 द्वितीय सप्ताह में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रस्तावित है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार

के पते पर माह मार्च 2026 द्वितीय सप्ताह तक उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें परीक्षा तिथि/समय एवं परीक्षा केन्द्र का नाम अंकित होगा।

परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ आवेदक को अपनी पहचान के रूप में कोई फोटोयुक्त पहचानपत्र (आई0डी0) (आधार कार्ड/बैंक पास-बुक/विद्यालय का परिचय पत्र) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। विलम्ब हेतु परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यदि किसी अर्ह अभ्यर्थी को किसी कारण से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परीक्षा से एक दिन पूर्व, परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित अभ्यर्थी का विवरण यथा नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र आदि का अवलोकन कर आवंटित परीक्षा केन्द्र में जाकर भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इस हेतु उसे परीक्षा केन्द्र पर अपना फोटो एवं पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

• परीक्षा योजना :- प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घण्टे होगी, प्रश्न पत्र में तीन खण्ड निम्नवत् होंगे :-

खण्ड	विषय वस्तु/खण्ड	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक
(क)	मानसिक योग्यता परीक्षा	50	50
(ख)	गणित परीक्षा	25	25
(ग)	भाषा (हिन्दी) परीक्षा	25	25
कुल प्रश्नों की संख्या		100	100

1. प्रश्न पत्र में उक्तवत् कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। खण्ड (ग) भाषा (हिन्दी) को छोड़कर अन्य भाग (खण्ड 'क' एवं खण्ड 'ख') हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे।
2. परीक्षा की अवधि दो घण्टे होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को नियमानुसार प्रतिपूरक समय दिया जा सकेगा।
3. प्रश्नों का स्तर प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक के स्तर) के समान होगा।
4. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थी इसका अभ्यास कर लें। प्रश्न के सामने दिये गये चार विकल्पों (A,B,C,D) में से सही विकल्प के गोले को काला करना है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करने के लिये परीक्षार्थी केवल काली/नीली बॉल प्वाइंट पैन का ही प्रयोग कर सकेंगे।
5. प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक देय होगा। एक से अधिक विकल्प पर गोला करने अथवा प्रश्न का उत्तर अंकित न करने पर कोई अंक देय नहीं होगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।
6. परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, किसी भी प्रकार की इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, मुद्रित या लिखित पाठ्य सामग्री को लाना/प्रयोग करना वर्जित है।
7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना होगा। प्रश्नपुस्तिका परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

• मूल्यांकन प्रणाली : परीक्षाफल एवं योग्यता सूची निर्माण की प्रक्रिया :

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा औपबन्धिक उत्तर-कुंजी (Provisional Answer Key) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) के किसी उत्तर पर आपत्ति होगी तो वह परिषद् को निर्धारित अवधि के अंतर्गत सप्रमाण दावा/आपत्ति भेज सकता है। बिना प्रमाण एवं निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जायेगा। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर उत्तर-कुंजी (Answer Key) में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन के पश्चात् अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) तैयार कर परीक्षाफल का निर्माण किया जायेगा। परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

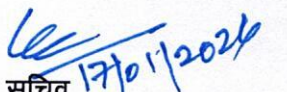
1. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) की स्केनिंग एवं आपत्ति निराकरण के उपरान्त अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) के आधार पर परिषद् द्वारा परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया जायेगा।

2. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्कूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर पृथक-पृथक (बालक-बालिका वर्ग में) चयन/योग्यता सूची तैयार की जायेगी। परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में (i) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा, यदि आयु भी बराबर है तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार पहले आने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।
4. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) सहित परीक्षा के अभिलेख परीक्षा आयोजन तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे एवं तत्पश्चात् इन्हें विनष्ट (वीड आउट) कर दिया जायेगा।

• अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त चयन/योग्यता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता की जाँच सम्बन्धित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। किसी सूचना या तथ्य के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए सम्बन्धित के माता पिता/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम/तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये दूरभाष नं० 05947-254275 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. परिषद् के साथ पत्र व्यवहार हेतु पता निम्नवत् है—

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
(विभागीय परीक्षा अनुभाग),
पो0ऑ0 रामनगर (नैनीताल) पिन : 244715


सचिव 17/01/2024
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)